=

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : अल्का शर्मा, आरजेएस
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या : 109/2023
(C.I.S. No. 206/2023)
(CNR No.RJRS010030332023)

राजस्थान राज्य।

.... अभियोगी

विरूद्ध

राधेश्याम उर्फ पैंथर पुत्र रामलाल भांड, निवासी बाघाना, पुलिस थाना दिवेर, जिला राजसमंद (राज.)।

.... अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 332, 353, 307, 326 भा.दं.सं. व 4/25 आयुध अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री रामलाल जाट, विद्वान लोक अभियोजक–राज्य की ओर से।
2. श्री अनिल कुमावत, विद्वान अधिवक्ता–अभियुक्त की ओर से।

:: निर्णय ::

दिनाँक : 23.04.2026

1. यह प्रकरण थानाधिकारी, पुलिस थाना देवगढ़, जिला राजसमंद द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 377/2023 में बाद अनुसंधान न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवगढ़, राजसमंद में अभियुक्त राधेश्याम उर्फ पैंथर के विरूद्ध धारा 341, 332, 353, 307, 326 भारतीय दंड संहिता व 4/25 आयुध अधिनियम के अपराध में आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर संस्थित हुआ है। मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से पत्रावली इस न्यायालय को उपार्पित (Commit) की गई, जिस पर दिनाँक 20.12.2023 को प्रकरण इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि परिवादी माया ने दिनांक 22.09.2023 को पुलिस थाना देवगढ़ पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 22.09.2023 को

उसका पति किशनलाल, जो नगरपालिका में सफाईकर्मी है, दिन में दो बजे मारू दरवाजा, देवगढ़ में सफाई के लिए निकले, दिन में करीब 4.00 बजे एसबीआई बैंक देवगढ़ के सामने उसके पति को सफाई कार्य करते हुए जाते हुए राधेश्याम ने रोका व उसके पति के पेट में जाने से मारने की नीयत से चाकू से वार किया, जिससे उसके पति के पेट में छेद हो गया, पेट से मांस बाहर आ गया, मौके पर नारायणलाल व बंशीलाल आदि ने बीच–बचाव कर छुड़ाया। उसके पति ने राधेश्याम को रूपये उधार दे रखे थे, जिसकी उगाई करने पर जान से मारने हेतु हमला कर दिया..... इत्यादि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना देवगढ़ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 377/2023, अपराध अंतर्गत धारा 341, 332, 353, 307 भारतीय दंड संहिता में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

3. अनुसंधान के दौरान गवाहान के बयान लेखबद्ध किये गये। घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द याददाश्त तथा नक्शा–मौका मुर्तिब किया गया। मजरूह किशनलाल के आयी चोटों के संबंध में मेडिकल हेतु तहरीर दी गई। आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। चोट प्रतिवेदन तैयार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाकर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्त राधेश्याम उर्फ पैंथर के विरुद्ध धारा 341, 332, 353, 307, 326 भा.दं.सं. व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अपराध में अधीनस्थ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके द्वारा बाद प्रसंज्ञान प्रकरण उपार्पित कर इस न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. इस न्यायालय द्वारा बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त राधेश्याम उर्फ पैंथर के विरूद्ध धारा 341, 332, 353, 307, 326 भा.दं.सं. व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त आरोप को साबित करने के क्रम में मौखिक साक्ष्य में पी.ड.1 किशनलाल, पी.ड.2 माया, पी.ड.3 मोहनसिंह,

पी.ड.4 शिवसिंह, पी.ड.5 नारायणलाल, पी.ड.6 किशोर कुमार, पी.ड.7 डॉ. मनीष कुमार व पी.ड.8 डाउराम को परीक्षित करवाया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नांकित दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये :–

क्र.सं.	प्रदर्श	दस्तावेज
1.	प्रदर्श पी. 01	फर्द जब्ती व पेशकशी आहत के खून आलुदा कपड़े
2.	प्रदर्श पी. 02	आहत किशनलाल का चोट प्रतिवेदन
3.	प्रदर्श पी. 03	पुलिस बयान किशनलाल
4.	प्रदर्श पी. 04	कानूनी कार्यवाही करने बाबत्
5.	प्रदर्श पी. 05	प्रथम सूचना रिपोर्ट
6.	प्रदर्श पी. 06	नक्शा–मौका
7.	प्रदर्श पी. 07	पुलिस बयान श्रीमती माया
8.	प्रदर्श पी. 08	फर्द बरामदगी स्थल
9.	प्रदर्श पी. 09	फर्द तस्दीक घटनास्थल
10.	प्रदर्श पी. 10 ए	मालखाना रजिस्टर की फोटोप्रति
11.	प्रदर्श पी. 11	मजरूह के चोट का मेडिकल मुआयना बाबत।
12.	प्रदर्श पी. 12	चोट का खुलासा कराने बाबत तहरीर
13.	प्रदर्श पी. 13	किशनलाल का डिस्चार्ज कार्ड
14.	प्रदर्श पी. 14	फर्द जब्ती चाकू

6. अभियोजन साक्ष्य से प्रकट आपराधिक दायित्व के स्पष्टीकरण हेतु अभियुक्त का धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षण किया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत व झूठा होना अभिकथित किया और स्वयं को निर्दोष होने व झूठा फंसाए जाने का अभिवाक् किया। साथ ही प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा।

7. इस प्रकरण के निर्णय हेतु हमारे समक्ष मुख्य रूप से अवधार्य प्रश्न यह है कि :–

{1} क्या अभियुक्त ने दिनांक 22.09.2023 को समय 2:00 पी.एम. पर जिला राजसमंद के आरक्षी केन्द्र देवगढ़ के क्षेत्र एस.बी.आई. बैंक के सामने देवगढ़ में परिवादिया श्रीमती माया के पति किशनलाल का सदोष अवरोध कारित कर उसके पेट में धारदार हथियार चाकू से वार कर स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की ?

{2} क्या अभियुक्त ने उक्त दिवस, समय व स्थान पर आहत किशनलाल को जान से मारने की नीयत से उसके पेट में धारदार हथियार चाकू से वारकर गंभीर उपहति कारित कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया ?

{3} क्या अभियुक्त ने उक्त दिवस, समय व स्थान पर लोक सेवक नगरपालिका सफाईकर्मी किशनलाल को अपने पदीय कर्तव्य से भयोपरत करने के लिये उसके साथ धारदार हथियार चाकू से मारपीट कर उसे स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की ?

{4} क्या अभियुक्त ने उक्त दिवस, समय व स्थान पर लोक सेवक नगरपालिका सफाईकर्मी को अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिये धारदार हथियार चाकू से उस पर हमला करते हुए आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

{5} क्या अभियुक्त ने उक्त दिवस, समय व स्थान पर घटना में प्रयुक्त आग्नेयास्त्र से भिन्न आयुध धारदार चाकू अपने सचेतन कब्जे में रखा, जिसको अपने कब्जे में रखने बाबत् आपके पास कोई वैध अनुज्ञापत्र नहीं था ?

{6} यदि, हॉ तो अभियुक्त के लिए उपयुक्त दण्ड क्या हो ?

8. अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में कुल 08 गवाहों को परीक्षित करवाया गया है, जिनमें से गवाह पी.ड.1 किशनलाल पक्षद्रोही साक्षी है, जिसने सशपथ बयान में कथन किया कि वह नगरपालिका देवगढ़ में सफाई कर्मचारी के पद पर नौकरी करता है। करीब पांच–छह महीने पूर्व वह नौकरी पर जा रहा था, तब उसे चक्कर आये, जिससे वह नीचे गिर गया और नीचे फावड़ा पड़ा हुआ था, जिस पर गिरने से उसके पेट पर चोट आई। फिर उसे देवगढ़ अस्पताल लेकर एक टैंपो वाला गया था। फिर उसके बाद उसे कुछ याद नहीं है, क्योंकि वह बेहोश हो गया था। पुलिस वालों ने उसके वक्त घटना पहने हुए कपड़े लिये हो तो उसे पता नहीं। फर्द सम्पत्ति अधिग्रहण पत्र प्रदर्श पी 01, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 02 पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। उसके पेट में चोट नीचे गिरने से फावड़े से लगी थी। लोक अभियोजक की जिरह में गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उसने राधेश्याम से पैसे उधार ले रखे हों और राधेश्याम द्वारा पैसे मांगने की बात को लेकर उसके साथ लड़ाई झगड़ा

कर चाकू निकालकर उसके पेट पर वार किया हो। गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 3 का ए से बी व सी से डी भाग लिखाये जाने से भी इन्कार किया।

9. गवाह पी.डब्ल्यू. 02 माया पक्षद्रोही साक्षी है, जिसने अपने सशपथ बयान में अभिकथित किया कि उसके पति किशनलाल की नगरपालिका देवगढ़ में नौकरी है। करीब चार–पांच महीने पहले उसे उसके पति ने अस्पताल में बताया कि जब वह नौकरी पर जा रहा था तो उसको चक्कर आ गये और वह रास्ते में फावड़े के ऊपर गिर गये, जिससे उनके चोट आ गई। उसके पति को उदयपुर के लिए रैफर कर दिया गया था। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 04, चॉक एफआइआर प्रदर्श पी 05 व नक्शा–मौका प्रदर्श पी 06 पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। वह इस प्रकरण के बारे में और कुछ नहीं जानती है। लोक अभियोजक की जिरह में गवाह ने लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 का सी से डी भाग पुलिस को नहीं लिखाये जाने का कथन किया तथा स्वतः कथन किया कि वह तो अनपढ़ी है व सिर्फ हस्ताक्षर करना जानती है। गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 7 का ए से बी भाग लिखाये जाने से भी इन्कार किया।

10. गवाह पी.डब्ल्यू. 03 मोहनसिंह ने सशपथ बयान में अभिकथित किया कि करीब साल भर पहले प्रतापसिंह थानेदार एसबीआई बैंक कॉम्प्लेक्स देवगढ़ के वहां पर आये, जहां पर उन्होंने अभियुक्त राधेश्याम की निशादेही से उसकी उपस्थिति में जिस स्थान से चाकू बरामद किया था, उस स्थान की फर्द बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 08 तथा फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 09 मुर्तिब किया था, जिन पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है।

11. गवाह पी.ड.04 शिवसिंह ने सशपथ बयान में अभिकथित किया कि उसके दिनांक 24.09.2023 को पुलिस थाना देवगढ़ में हैड कानि. होकर मालखाना इंचार्ज के पद पर कार्यरत था। उस दिन प्रकरण संख्या 377/23 में अनुसंधान अधिकारी द्वारा बरामदशुदा आर्टीकल्स मालखाना में जमा करने हेतु उसे सुपुर्द किये, जिसका अंकन उसके द्वारा मालखाना

रजिस्टर की क्रम संख्या 178/566 पर कर मालखाना में सुरक्षित रखे गये। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी. 10 है, जिस पर ए से बी मालखाना में आर्टीकल्स जमा करने का इंद्राज तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मालखाना रजिस्टर की फोटोप्रति प्रदर्श पी 10ए है। उक्त आर्टीकल्स को कानि. राजूलाल ने दिनांक 30.10.2023 को एफएसएल उदयपुर में जमा करा रसीद पेश की थी, जिसका अंकन मालखाना रजिस्टर में ई से एफ स्थान पर किया गया।

12. गवाह पी.डब्ल्यू. 05 नारायणलाल ने सशपथ बयान में अभिकथित किया कि करीब डेढ़ साल पहले मुख्य रोड़ एसबीआई बैंक के सामने उसका एक प्लॉट है, जहां पर उसकी दुकान पर वह था। करीब शाम को चार बजे के आसपास एक पैंथर नाम का व्यक्ति और दूसरा सफाई कर्मी नगरपालिका देवगढ़ का था। हो–हल्ला हुआ, मार दिया, जिस पर वह मौके पर दौड़ कर गया और देखा कि नगरपालिका सफाईकर्मी के पेट के वहां से खून निकल रहा था और उनके सामने सफाईकर्मी को मारने वाला पब्लिक के आ जाने से उनके सामने से पैंथर भागा था। फिर हमने मौके से पुलिस वालों की गाड़ी में इलाज के लिए उस सफाईकर्मी को हॉस्पीटल भेजा।

13. गवाह पी.डब्ल्यू. 06 किशोर कुमार ने सशपथ बयान में अभिकथित किया कि किशन एवं पैंथर के बीच झगड़ा हुआ था। उस मामले में एसबीआई बैंक के सामने देवगढ़ नगर में पुलिस वाले घटनास्थल पर आये थे। वहां पर उसका मित्र मनीष कुमार भी साथ में था। पुलिस ने नक्शा–मौका प्रदर्श पी 06 बनाया, पुलिस ने किशन की वक्त घटना पहनी हुई जींस पेंट एवं उसका शर्ट लिया था, जिसकी फर्द मुर्तिब प्रदर्श पी 01 है। उक्त प्रदर्शों पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

14. गवाह पी.डब्ल्यू. 07 डॉ. मनीष कुमार ने सशपथ बयान में अभिकथित किया कि दिनांक 22.09.2023 को वह सीएचसी, देवगढ़ पर चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुए पुलिस थाना देवगढ़ द्वारा

मजरूह किशनलाल के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण कर चोट प्रतिवेदन तैयार करने हेतु तहरीर प्रदर्श पी 11 दी गई। उसने आहत किशनलाल का परीक्षण कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 02 तैयार किया था। उक्त प्रदर्शों पर उसके हस्ताक्षर है। चोट संख्या 01—स्टेब वुण्ड टांके भी थे जिसका आकार 10 से.मी. गुणा 2 से.मी. का स्कार जो शरीर के बाएं इलियक रिजन पर गम्भीर प्रकृति की धारदार हथियार से चोट थी, चोट संख्या 02 स्टेब वुण्ड 3 से.मी. गुणा 0.2 से.मी. साइज का बायीं जांघ के बाहरी हिस्से पर जो चोट गम्भीर प्रकृति की होकर धारदार हथियार से कारित थी तथा चोट संख्या 03 मिड एब्डॉमिनल वॉल पर स्कार, उक्त चोट या तो किसी हमले में कारित हुई हो सकती है या किसी मेडिकल ऑपरेशन के कारण डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन हेतु चीरा लगाया हुआ हो सकता है। पुलिस थाना देवगढ़ द्वारा आहत किशनलाल के शरीर पर आई चोटों का खुलासा करने हेतु तहरीर प्रदर्श पी. 12 दी गई थी, जिस पर ए से बी स्थान पर उसकी राय व सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर मय सील है। उसकी राय के अनुसार किशनलाल के शरीर पर आई चोट संख्या 1 गंभीर प्रकृति की थी, अनंता अस्पताल के दस्तावेजों के आधार पर बताई गई, जहां आहत का ऑपरेशन किया गया था, चोट संख्या 01 प्राणघातक थी। अनंता अस्पताल के दस्तावेज डिस्चार्ज कार्ड प्रदर्श पी. 13 है, जो कुल 3 पृष्ठ है।

15. गवाह पी.डब्ल्यू. 08 डाउराम ने सशपथ बयान में अभिकथित किया कि करीब डेढ साल पूर्व राधेश्याम उर्फ पैंथर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अभियुक्त से बरामदगी की थी, जिसकी फर्द मुर्तिब की थी, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी. 14 है। बरामदगी स्थल का नक्शा—मौका प्रदर्श पी. 08 बनाया था। घटनास्थल तस्दीक प्रदर्श पी. 09 है। उक्त प्रदर्शों पर उसके हस्ताक्षर है।

16. दौराने बहस विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि अभियुक्त द्वारा आहत किशनलाल के पेट व जांघ पर चाकू से वार कर गम्भीर व

प्राणघातक उपहतियां कारित करने बाबत् पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। परिवादिया माया द्वारा अपने पति किशनलाल के पेट में चाकू से वार करने के तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित किये थे। यद्यपि उक्त माया व किशनलाल क्रमशः पी.डब्ल्यू. 2 व पी.डब्ल्यू. 1 के रूप में पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, परन्तु प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण गवाह पी.डब्ल्यू. 7 डॉ. मनीष कुमार ने आहत किशनलाल की चोट संख्या 01 बांये इलियक रिजन पर गम्भीर प्रकृति की होकर प्राणघातक होने का तथ्य साबित किया है, जिसकी पुष्टि चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 2 एवं डिस्चार्ज कार्ड प्रदर्श पी 13 से की है। प्रकरण के अन्य महत्वपूर्ण स्वतंत्र चश्मदीद गवाह पी.डब्ल्यू. 5 नारायणलाल ने भी मौके पर आहत के पेट में खून निकल रहे होने तथा उसी समय उसके सामने अभियुक्त के भागने के कथन किये हैं और इस परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी अभियुक्त द्वारा आहत के साथ मारपीट किये जाने का तथ्य साबित होता है। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी तर्क रहा कि अभियुक्त राधेश्याम आहत किशनलाल को उधार दिये गये रुपये मांगता था परन्तु किशनलाल के पास व्यवस्था नहीं होने से वह उसके रुपये नहीं लौटा पा रहा था, इसी के चलते अभियुक्त द्वारा आहत किशनलाल के साथ चाकू से मारपीट कर गम्भीर चोटें पहुंचाई गई थीं। ऐसी स्थिति में अभियुक्त का आहत के साथ मारपीट करने का उद्देश्य भी प्रमाणित हुआ है। प्रकरण में अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू को भी जरिये फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 14 बरामद हुआ है और उक्त बरामदगी को दोनों स्वतंत्र मोतबिर गवाहों पी.डब्ल्यू. 3 मोहनसिंह व पी. डब्ल्यू. 8 डाउराम ने भलीभांति साबित किया है। इस प्रकार अभियोजन की उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित हो रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को आरोपित अपराध धारा 341, 323, 353, 307, 326 भा.द.सं. व 4/25 आर्म्स एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध किया जावे।

17. इसके विपरीत अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिये हैं कि अभियोजन की संपूर्ण साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित

अपराध के संबंध में किसी भी स्तर पर कोई मामला प्रमाणित नहीं हुआ है। स्वयं आहत किशनलाल व परिवादिया माया पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित हुए हैं और अभियुक्त द्वारा ही आहत के साथ चाकू से मारपीट कर उपहतियां कारित करने के संबंध में लेशमात्र भी कथन नहीं करते हैं, बल्कि उक्त दोनों ही महत्वपूर्ण गवाह आहत किशनलाल के नौकरी पर जाते समय चक्कर आने से फावड़े पर गिरने से उसके पेट में चोट आने का तथ्य प्रकट कर रहे हैं। यद्यपि परिवादिया ने प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्शित अवश्य कराया है किंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 में अंकित घटना से संबंधित सुसंगत भागों को लिखाने से इंकार किया है और गलत बताया है तथा स्वयं का अनपढ़ होना बताया है। प्रकरण के एकमात्र स्वतंत्र चश्मदीद गवाह नारायणलाल ने उसके पहुंचने से पहले ही घटना कारित होने बाबत् कथन करते हुए अभियुक्त द्वारा घायल को मारते हुए नहीं देखना बताया है। यद्यपि पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सीय दस्तावेज से आहत के गम्भीर उपहति कारित होना अवश्य दर्शित है, परन्तु स्वयं आहत ने ही रास्ते में चक्कर आने से वहां पड़े फावड़े पर गिर जाने से उसके पेट में चोट आना जाहिर किया है, तो फिर आहत के कारित चोटें अभियुक्त द्वारा ही कारित किये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। प्रकरण में कथित चाकू की बरामदगी अभियुक्त से बताने का प्रयास किया गया है, परन्तु बरामदगी के दोनों गवाहों ने इस प्रकार अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध के प्रमाणीकरण के संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य पत्रावली पर विद्यमान नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को साबित करने हेतु पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य का अभाव होने से अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जावे।

18. हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य का गहनता से विश्लेषण किया। यह प्रकरण परिवादिया माया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 के आधार पर संस्थित हुआ है जिसमें परिवादिया ने अपने पति आहत किशनलाल को नगरपालिका में सफाई का कार्य करना बताते हुए दिनांक 22.09.2023 को सफाई के लिए जाते समय

देवगढ़ में मारू दरवाजा की तरफ करीब 4:00 बजे एस.बी.आई. बैंक देवगढ़ के सामने राधेश्याम अभियुक्त द्वारा रोककर उसके पति के पेट में चाकू से वार करने, जिससे उसके पति के पेट में छेद होकर मांस बाहर आने तथा नारायणलाल व बंशीलाल रेगर एवं अन्य लोगों द्वारा उसके पति का बीचबचाव कर छुड़ाने का तथ्य अंकित किया, साथ ही उसके पति द्वारा राधेश्याम को दिये गये उधार रुपयों की उगाही करने को मारपीट का करण होना रिपोर्ट में अंकित किया। अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए उक्त आरोपों को साबित करने के संबंध में सर्वप्रथम तो यह उल्लेखित किया जाना समीचीन होगा कि स्वीकृत रूप से इस प्रकरण के आहत किशनलाल के पेट में गम्भीर चोट आई थी, परन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उसमें प्रकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाह किशनलाल, जो कि कथित घटना में स्वयं आहत होना बताया गया है, ने पी.डब्ल्यू. 1 के रूप में अभियोजन कहानी की लेशमात्र भी ताईद नहीं की है तथा पूर्णतः पक्षद्रोही रहा है जिसने अपने मुख्य बयानों में ही अभिकथित किया कि घटना के दिन वह नौकरी पर जा रहा था, तब उसे चक्कर आने से वहां नीचे पड़े फावड़े पर गिरने से उसके पेट पर चोट आई, उसके बाद उसे कुछ याद नहीं क्योंकि वह बेहोश हो गया था। इस प्रकार प्रकरण का मुख्य गवाह ही अभियोजन कहानी का साथ नहीं देता है। इसी क्रम में पी.डब्ल्यू. 2 माया, जो इस प्रकरण की परिवादिया व आहत किशनलाल की पत्नी है, ने भी स्पष्ट कहा है कि उसके पति द्वारा अस्पताल में उसे बताया गया कि जब वह नौकरी पर जा रहे थे तो उनको चक्कर आ गये और वह रास्त में फावड़े के ऊपर गिर गये, जिससे उनके चोट आ गई। इस प्रकार इस गवाह ने भी आहत के चक्कर आकर रास्ते में पड़े फावड़े पर गिर जाने से चोट आने की ही साक्ष्य दी है। यद्यपि इस गवाह ने जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई है उसमें अभियुक्त द्वारा इसके पति के साथ मारपीट करने का वृतांत अंकित किया है, परन्तु लोक अभियोजक द्वारा इस गवाह से जब जिरह की गई तो इसे लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 का सी से डी भाग अर्थात् रिपोर्ट में अंकित

सभी तथ्यों को लिखाने से ही इन्कार कर दिया है, साथ ही यह भी कथन किया कि वह अनपढ़ है तथा केवल हस्ताक्षर करना जानती है। गवाह द्वारा रिपोर्ट के तथ्यों से इन्कार किये जाने के परिप्रेक्ष्य में यदि उक्त रिपोर्ट की हस्तलिपि एवं परिवादिया के हस्ताक्षरों पर गौर करें तो हम पाते हैं कि रिपोर्ट के समस्त तथ्यों की लिखावट परिवादिया के हस्ताक्षरों से स्पष्टतः भिन्न है तथा रिपोर्ट के तथ्य किसी अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा लिखे गये हैं, जबकि परिवादिया के हस्ताक्षर एक बहुत ही कम साक्षर व्यक्ति की भांति हैं, जिससे यही जाहिर आता है कि परिवादिया वास्तव में अनपढ़ होकर केवल हस्ताक्षर करना ही जानती है। ऐसी स्थिति में रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 भी सन्देहास्पद हो जाती है।

इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से केवलमात्र एक चश्मदीद गवाह नारायणलाल को ही परीक्षित करवाया गया है, जिसने पी.डब्ल्यू. 5 के रूप में एक तरफ तो यह कहा है कि हो–हल्ला हुआ, मार दिया–मार दिया, जिस पर वह मौके पर गया तो नगरपालिका सफाईकर्मी के पेट के वहां खून निकल रहा था तथा पब्लिक के आ जाने से पैंथर भागा था, पूरा नाम वह नहीं जानता। दूसरी तरफ बचाव पक्ष की ओर से जब इस गवाह से जिरह की गई तो इसने स्पष्ट कथन किया कि यह सही है कि वह शोर होने के बाद ही मौके पर गया था, उसकी घायल से बातचीत नहीं हुई थी। साथ ही गवाह ने जिरह में स्वीकार किया कि उसने पैंथर द्वारा घायल को मारते हुए नहीं देखा। इस प्रकार चूंकि जब स्वयं आहत ने चक्कर आकर नीचे पड़े फावड़े पर गिरने से उसके चोट आना बताया है और यह गवाह नारायणलाल मौके पर शोर होने के बाद यानि घटना के बाद पहुंचना बताता है तथा साथ ही यह गवाह अभियुक्त के पास चाकू जैसा कोई हथियार देखने के संबंध में भी कोई कथन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में इस गवाह की साक्ष्य से भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि वास्तव में अभियुक्त द्वारा ही आहत किशनलाल के साथ किसी प्रकार की मारपीट की गई हो एवं उसे चोटें पहुंचाई गई हों।

अभियोजन पक्ष द्वारा यद्यपि अभियुक्त का आहत के साथ मारपीट का उद्देश्य आहत किशनलाल द्वारा अभियुक्त राधेश्याम से उधार लिये गये रुपयों की राधेश्याम द्वारा मांग करना एवं आहत किशनलाल द्वारा उसे रुपये वापस नहीं देना बताया गया है, परन्तु स्वयं आहत पी.डब्ल्यू. 1 किशनलाल ने इस तथ्य से इन्कार किया है कि राधेश्याम से उसने पैसे उधार ले रखे हों और पैसे मांगने की बात को लेकर राधेश्याम ने उसके साथ मारपीट की हो। इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू. 2 माया, जो अभियुक्त की पत्नी है, ने तो प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके द्वारा लिखाये जाने इन्कार कर दिया है तथा रिपोर्ट में क्या लिखा है, उसे पता नहीं होना बताया है। यह भी उल्लेखनीय है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 में तो बिल्कुल विपरीत रूप से अभियुक्त राधेश्याम द्वारा आहत किशनलाल से रुपये उधार लेने, जिसकी उगाही करने पर राधेश्याम द्वारा किशनलाल के साथ मारपीट करने का तथ्य अंकित है। प्रकरण में अन्य ऐसा कोई भी साक्ष्य अभियोजन द्वारा पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो कि अभियुक्त से आहत किशनलाल द्वारा कोई राशि उधार ली गई हो। जैसा कि पूर्व में विवेचित किया गया है कि परिवादिया माया अनपढ़ होकर उसे केवल हस्ताक्षर करने तक का सीमित ज्ञान होना एवं रिपोर्ट में अंकित समस्त तथ्यों की लिखावट पूर्ण साक्षर व्यक्ति द्वारा लिखी गई होकर भिन्न हस्तलेख में होना प्रकट होने से भी रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 के तथ्यों की सत्यता सन्देहास्पद मानी गयी है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त राधेश्याम व आहत किशनलाल के मध्य रुपयों के लेनदेन/उधारी संबंधी तथ्यों की प्रामाणिकता साबित नहीं होने से यह अभियोजन यह तथ्य भी सन्देह से परे साबित नहीं कर पाया है कि अभियुक्त का आहत के साथ इस कदर मारपीट करने का कोई उद्देश्य रहा हो।

जहां तक अभियुक्त राधेश्याम उर्फ पैंथर से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद होने का प्रश्न है, तो फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 14 के अनुसार बरामदगी के मोतबिर दो गवाह रखे गये हैं, जिनमें पी.डब्ल्यू. 3 मोहनसिंह ने केवल फर्द बरामदगीस्थल प्रदर्श पी 8 पर अपने हस्ताक्षर होना बताये हैं,

जबकि चाकू बरामदगी की फर्द के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। साथ ही इस गवाह ने जिरह में स्वीकार किया कि उसकी थाने के सामने चाय की दुकान है और वह चाय लेकर थाने के अंदर गया तो पुलिस वालों ने उससे कहा कि हस्ताक्षर कर दो तो उसने प्रदर्श पी 8 व प्रदर्श पी 9 पर हस्ताक्षर कर दिये। गवाह मोहनसिंह ने जिरह में यह भी स्वीकार किया कि उसकी उपस्थिति में पुलिस वालों ने अभियुक्त की निशांदेही से कोई चाकू बरामद नहीं किया। बरामदगी के अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 8 डाउराम ने यद्यपि फर्द जब्ती प्रदर्श पी 14 पर अपने हस्ताक्षर होना कहा है, परन्तु जब बचाव पक्ष द्वारा इस गवाह से जिरह की गई तो इसने स्वीकार किया कि उसके सामने पुलिस ने अभियुक्त राधेश्याम से कोई चाकू बरामद नहीं किया था। गवाह ने जिरह में यह भी कहा कि प्रदर्श पी 8, 9 व 14 पर उसने हस्ताक्षर थाने पर पुलिस वालों के कहने पर किये थे, जबकि पुलिस कभी उसे मौके पर नहीं लेकर गई। साथ ही फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 14 के अनुसार चाकू पड़त जमीन में अंग्रेजी बबूल से बरामद हुआ तथा फर्द बरामदगी में चाकू घरेलु पुराना इस्तेमाली होने का तथ्य भी अंकित है। ऐसी स्थिति में बरामदगी भी अभियुक्त के प्रत्यक्ष कब्जे से नहीं होकर खुले स्थान से हुई है और चाकू घरेलु पुराना इस्तेमाली स्वयं अभियोजन पक्ष ने बताया है। इस प्रकार उक्त गवाहों की साक्ष्य एवं उक्त तथ्यों से अभियुक्त के कब्जे से चाकू बरामदगी का तथ्य भी सन्देह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकरण में आहत किशनलाल के पेट में उपहति आना बताया गया है और अनुसंधान के क्रम में आहत के वक्त घटना पहने हुए खून आलूदा कपड़ों को जरिये फर्द प्रदर्श पी 1 जब्त किया गया था, साथ ही कथित घटना में प्रयुक्त खून आलूदा चाकू को जरिये फर्द प्रदर्श पी 14 बरामद किया गया था, परन्तु अनुसंधान अधिकारी द्वारा आहत के कपड़ों व चाकू पर लगे रक्त की श्रेणी के मिलान हेतु न तो उक्त आर्टिकल्स को विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञ से परीक्षण करवाने का कोई प्रयास ही नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अभियोजन

द्वारा कथित चाकू पर लगा रक्त आहत किशनलाल का ही होने का तथ्य भी अभियोजन साबित नहीं कर पाया है।

इस प्रकार साक्ष्य के उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण से विशेषकर प्रकरण के आहत किशनलाल व परिवादिया माया के पक्षद्रोही होने एवं आहत के रास्ते में चक्कर आने से वहां पड़े फावड़े पर गिरने के कारण चोटें आने का तथ्य प्रकट किये जाने, प्रकरण के एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नारायण के भी घटना के पश्चात् मौके पर पहुंचने का तथ्य समक्ष आने, प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट की साबिती भी सन्देहास्पद होने, अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त का आहत के साथ मारपीट का उद्देश्य भी साबित करने बाबत् पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं होने एवं अभियुक्त के कब्जे से चाकू बरामदगी का तथ्य भी सन्देहास्पद होने से अभियोजन पक्ष यह प्रमाणित करने में पूर्ण रूप से विफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 22.09.2023 को देवगढ़ में आहत किशनलाल का सदोष अवरोध कारित कर उसके पेट में धारदार चाकू से वारकर गम्भीर व प्राणघातक उपहतियां कारित की गई हों तथा नागरपालिका सफाईकर्मी आहत किशनलाल को पदीय कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए चाकू से मारपीट कर आपराधिक बल प्रयोग कर उसे गम्भीर उपहति कारित की गई हो। साथ ही अभियोजन पक्ष अभियुक्त के सचेतन कब्जे से धारदार चाकू बरामद होने का तथ्य भी प्रमाणित करने में असफल रहा है। तद्नुसार अभियुक्त राधेश्याम उर्फ पैंथर को अपराध अंतर्गत धारा 341, 326, 307, 332, 353 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4/25 आयुध अधिनियम के आरोपों से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

19. निष्कर्षतः अभियुक्त राधेश्याम उर्फ पैंथर पुत्र रामलाल भांड, निवासी बाघाना, पुलिस थाना दिवेर, जिला राजसमंद (राज.) को अपराध अंतर्गत धारा 341, 326, 307, 332, 353 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4/25 आयुध अधिनियम के आरोपों से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त

किया जाता है। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

प्रकरण में जब्तशुदा माल वजह सबूत चाकू व कपड़े बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किये जावें।

(अल्का शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, राजसमंद

20. निर्णय आज दिनांक **23.04.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अल्का शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, राजसमंद

d337f7f1-217c-448c-8132-d61ce2c9002a

Digitally signed by d337f7f1-217c-448c-8132-d61ce2c9002a
Date: 2026.05.25 19:56:41 +05'30'